

पत्रांक : वाई0ई0ए0/सम्पत्ति/145/2019

दिनांक 26/12/2019

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.2019 के मद संख्या 66/16 में प्रस्तुत प्रस्ताव भूखण्ड संख्या-टी0एस0-01 सैक्टर-26ए के उप आवंटियों को भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि दिनांक 13.8.2019 से 31.12.2020 तक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

“ भूखण्ड संख्या-टी0एस0-01 सैक्टर-26ए के उप आवंटियों को भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.8.2019 से 31.12.2020 तक की अवधि हेतु बिना विलम्ब शुल्क के समयवृद्धि अनुमोदित की गई। साथ ही संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि आवंटियों को भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि दिये जाने से होने वाली वित्तीय हानि की गणना कर उसकी प्रतिपूर्ति मै0 एस0डी0एस0 इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 से की जाये।”

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(सतीश कुमार दुबे),

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0/एन0जी0/एम0) को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना) को सूचनार्थ।
4. समस्त योजना प्रभारी/प्रबन्धक सम्पत्ति को सूचनार्थ।
5. प्रबन्धक सिस्टम को उक्त नीति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

26/12/19

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी